4625
29/6/83

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

--

क्रमांक एफ 3(5) (8) राजस्व-8/72 जयपुर, दिनांक ~~24 मई, 1983~~ 18/6/83

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 54 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 3(5) (8) राजस्व-8/72, दिनांक 20-3-74 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार व इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को, उनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिताओं के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन की शक्तियों का, उनमें से प्रत्येक के सामने उपदर्शित सीमा तक प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है, अर्थात्:-

अधिकारी का पदनाम	यदि अपराध के प्रशमन का प्रस्ताव किया जाता है तो प्रभारित की जाने वाली प्रशमन फीसों की सीमा।
मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव वार्डन/अपर मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/अपर/उप मुख्य वन्य जीव वार्डन/क्षेत्र निदेशक (बाघ परियोजना)	अपराध जिनमें अनुसूची (स्माल गेम) में विनिर्दिष्ट पशु अन्तर्वलित है: प्रथम अपराध:- मांस या स्मृति-चिन्ह (ट्राफी) का बाजार मूल्य, साथ ही, शास्तिस्वरूप उतनी ही रकम या अन्तर्वलित प्रति पशु अथवा पक्षी 100 रूपये, जो भी अधिक हो। इसके अतिरिक्त शास्ति के बराबर की रकम अपराध में अन्तर्वलित किसी भी वाहन को मुक्त करने के लिए प्रभारित की जाएगी।

Legal
27/6
25/6

का बाजार मूल्य, साथ ही, शास्ति स्वरूप मांस के बाजार मूल्य के दुगुने के बराबर की रकम या अन्तर्वलित प्रति-पशु अथवा पक्षी 200 रूपये, जो भी अधिक हो ।

इसके अतिरिक्त शास्ति के बराबर की रकम अपराध में अन्तर्वलित किसी भी वाहन को मुक्त करने के लिए प्रभारित की जाएगी ।

तृतीय तथा पश्चात्वर्ती अपराधों का प्रशमन मुख्य वन्य जीव वार्डन के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, वरन् उनमें अभियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची ।। तथा ।।।(अनुसूची ।। के भाग ।। को छोड़कर) के पशुओं को अन्तर्वलित करने वाले अपराध:-

प्रथम अपराध:- मांस या स्मृति-चिन्ह(ट्राफी) का बाजार मूल्य साथ ही, शास्तिस्वरूप उतनी ही रकम या अन्तर्वलित प्रति पशु 1000 रूपये, जो भी अधिक हो ।

इसके अतिरिक्त शास्ति के बराबर की रकम अपराध में अन्तर्वलित किसी भी वाहन को मुक्त करने के लिए प्रभारित की जाएगी ।

द्वितीय अपराध:- मांस या स्मृति-चिन्ह(ट्राफी) का बाजार मूल्य, साथ ही, शास्तिस्वरूप मांस के बाजार मूल्य के दुगुने के बराबर की रकम या अन्तर्वलित प्रति पशु 2000 रूपये, जो भी अधिक हो ।

इसके अतिरिक्त शास्ति के बराबर की रकम अपराध में अन्तर्वलित किसी भी वाहन को मुक्त करने के लिए प्रभारित की जाएगी ।

तृतीय तथा पश्चात्वर्ती अपराधों का प्रशमन मुख्य वन्य जीव वार्डन के पूर्व लिखित-अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, वरन् उनमें अभियोजन किया जाएगा ।

राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द मोहन लाल)
शासन सचिव। कृ०प०उ०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2- सचिव, मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3- समस्त निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5- समस्त शासन सचिवगण ।
6- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस राज० जयपुर ।
7- समस्त उप निरीक्षक पुलिस रेंज।
8- समस्त जिलाधीशगण ।
9- समस्त अधीक्षक, पुलिस विभाग।
10- मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर ।
11- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर।
12- समस्त अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक/निदेशक परियोजना, भू-संरक्षक, कोटा ।
13- समस्त वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी।
14- समस्त अतिरिक्त/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/ सहायक वन संरक्षक।
15- रक्षिका पत्रावली।

(ए०एल०वेदी)
उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1- निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
2- अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर। इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र (असाधारण) में तत्काल प्रकाशन कराकर इस विभाग को सूचित करने हेतु ।

(ए०एल०वेदी)

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

(ए०एल०वेदी)